तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गोविन्दकरण बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार झंवर) सू.अ.अ. अपील संख्या 28 / 2023	
23-01-2023	अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण जाति राजपूत, पता 79 हनुवंत बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलानी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.11.2022 में (1) गांव झंवर के खसरा नम्बर 1803/2 की तरमीम किस अधिकारी ने की व तरमीम की तारीख बताने व अन्य बिन्दु , से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार झंवर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पंत्राक 22 दिनांक 02. 12.22 से सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार झंवर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।	
23-01-2023	हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार झंवर) से जरिये पत्रांक 28 दिनांक 17.01..2023 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थना पत्र में बिन्दु सं0 1 व 2 से संबंधित सूचना पटवारी रिपोर्ट के अनुसार पटवार कार्यालय मे उपलब्ध नक्शा लट्ठा पर तरमीम करने वाले के हस्ताक्षर व दिनांक उपलब्ध नहीं होने बाबत् एवं बिन्दु सं0 3 से संबंधित सूचना जमाबन्दी की प्रतिलिपियां हेतु प्रतिलिपि शुल्क राशि रूपये 140 राजकोष में जमा कराने हेतु प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। बिन्दु सं0 4 से संबंधित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई। रिपोर्ट में बिन्दु सं0 5 व 6 से संबंधित सूचना प्रश्नात्मक एवं वृजनात्मक है। बिन्दु सं0 7 व 8 से संबंधित सूचना तहसील कार्यालय लूणी व जोधपुर से संबंधित है वहां पर आवेदन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त की जा सकती है। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि तहसीलदार झंवर द्वारा पत्रांक 22 दिनांक 02.12.2022 लिखा गया जिसमें प्रार्थी द्वारा चाही गई कोई सूचना प्रदान नहीं की मात्र पत्र औपचारिकता हेतु लिखा। तहसीलदार ने मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर लिखा है उन्होने पटवारी रिपोर्ट की जांच नहीं की एव न ही उसे देखा कि प्रार्थी क्या चाहता है। बिन्दु सं0 3 हेतु चेक एवं केस जमा नहीं किया, बिन्दु 4 हेतु तारीख नहीं बताई गई। बिन्दु सं0 5 व 6 सृजनात्मक लिखा जबकि ऐसा नहीं है। बिन्दु संख्या 7 व 8 से संबंधित सूचना अन्य कार्यालय से संबंधित होने पर संबंधित कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को चाही गई सूचना बाबत् वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया गया है। अपील में बिन्दु संख्या–3 से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए केस व चेक से जमा नहीं करने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः अपीलार्थी का यह कथन अस्वीकार होने से अपील निरस्त योग्य है। लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार झंवर) को निर्देशित किया जाता है कि अब भी अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा सूचना का लगातार...	

अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित राशि जमा कराने पर दस्तावेज की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील निरस्त की जाती है। आदेश की संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।